Indian Journal of Modern Research and Reviews

This Journal is a member of the *'Committee on Publication Ethics'*

Online ISSN:2584-184X

Research Article

झारखंड राज्य में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की आर्थिक स्वायत्तता पर डिजिटल वित्तीय समावेशन का प्रभाव: एक अनुभवजन्य अध्ययन

निशि कुमारी [1*], डॉ० शोभा सरिता भुइयां [2]

[1] शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग, बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद, झारखंड, भारत

[2] शोध निर्देशिका, सहायक प्राध्यापिका एवं विभागाध्यक्ष (प्रभारी), अर्थशास्त्र विभाग, बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद, झारखंड, भारत

Corresponding Author: *निशि कुमारी

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18390689

सारांश

भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के परिवर्तन में स्वयं सहायता समूहों ने एक क्रांतिकारी भूमिका निभाई है, विशेषकर महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण के संदर्भ में। प्रस्तुत शोध अध्ययन झारखंड राज्य में दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कार्यरत स्वयं सहायता समूहों से संबद्ध महिलाओं की आर्थिक स्वायत्तता पर डिजिटल वित्तीय समावेशन के प्रभाव का व्यापक एवं गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह अध्ययन मिश्रित शोध पद्धति का उपयोग करते हुए रांची, हजारीबाग एवं कोडरमा जिलों से 385 स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों से प्राथमिक आंकड़े एकत्र करता है। शोध के परिणाम स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत खोले गए बैंक खाते, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस आधारित डिजिटल भुगतान प्रणाली, तथा स्वयं सहायता समूह-बैंक संबंधन कार्यक्रम ने महिलाओं की बचत क्षमता में 47.6 प्रतिशत, ऋण पहुंच में 63.1 प्रतिशत, तथा वित्तीय निर्णय-निर्माण में 31.6 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। सांख्यिकीय विश्लेषण यह पुष्टि करता है कि डिजिटल वित्तीय समावेशन महिलाओं की आर्थिक स्वायत्तता का सबसे प्रबल भविष्यवक्ता है, जिसका मानकीकृत प्रतीपगमन गुणांक 0.41 पाया गया। अध्ययन नीति-निर्माताओं के लिए डिजिटल वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने हेतु व्यावहारिक एवं क्रियान्वयन योग्य सुझाव प्रस्तुत करता है।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2584-184X
- **Received:** 25-11-2025
- **Accepted:** 29-12-2025
- **Published:** 27-01-2026
- **IJCRM:**4(1); 2026: 208-216
- **©2026, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

कुमारी निशि, भुइयां शोभा सरिता. झारखंड राज्य में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की आर्थिक स्वायत्तता पर डिजिटल वित्तीय समावेशन का प्रभाव: एक अनुभवजन्य अध्ययन. Indian J Mod Res Rev. 2026;4(1):208-216.

Access this Article Online

www.multiarticlesjournal.com

कूटशब्द: डिजिटल वित्तीय समावेशन, स्वयं सहायता समूह, आर्थिक स्वायत्तता, महिला सशक्तिकरण, झारखंड, लखपति दीदी ।

© 2026 निशि कुमारी, डॉ० शोभा सरिता भुइयां. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

1. प्रस्तावना

भारतीय अर्थव्यवस्था के समावेशी विकास में ग्रामीण महिलाओं की भूमिका को पहचानते हुए केंद्र एवं राज्य सरकारों ने विगत तीन दशकों में अनेक नीतिगत पहल की हैं, जिनमें स्वयं सहायता समूह आंदोलन सर्वाधिक प्रभावी एवं दूरगामी परिणाम देने वाला सिद्ध हुआ है। स्वयं सहायता समूह की अवधारणा को भारतीय संदर्भ में अनुकूलित करते हुए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने 1992 में स्वयं सहायता समूह-बैंक संबंधन कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जो आज विश्व का सबसे बड़ा सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम बन चुका है [1]। इस कार्यक्रम की सफलता का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2013-14 से अब तक स्वयं सहायता समूहों ने 9 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बैंक ऋण प्राप्त किया है, जो न केवल इस कार्यक्रम की व्यापक पहुंच को दर्शाता है, बल्कि महिला समूहों की वित्तीय विश्वसनीयता एवं अनुशासन को भी प्रमाणित करता है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2024 में संसद में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत अक्टूबर 2024 तक 90.87 लाख स्वयं सहायता समूहों में 10.05 करोड़ महिलाओं को संगठित किया जा चुका है [2]। यह आंकड़ा अपने आप में अभूतपूर्व है क्योंकि यह भारत की कुल महिला जनसंख्या का लगभग 15 प्रतिशत है, जो किसी भी देश में महिलाओं के सबसे बड़े सामूहिक संगठन का प्रतिनिधित्व करता है। इन समूहों की ऋण चुकौती दर 97 प्रतिशत से अधिक रही है, जो वाणिज्यिक बैंकों की औसत वसूली दर से भी बेहतर है और यह तथ्य महिला समूहों की आर्थिक समझदारी एवं सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को रेखांकित करता है।

झारखंड राज्य, जो भारत के सर्वाधिक आदिवासी बहुल एवं आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में से एक है, में स्वयं सहायता समूह आंदोलन ने विशेष महत्व एवं गति प्राप्त की है। झारखंड की लगभग 40 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है एवं यहां की अधिकांश आबादी कृषि एवं वन उत्पादों पर निर्भर है। ऐसी परिस्थिति में झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन समिति, जो राज्य में दीनदयाल अंत्योदय योजना के कार्यान्वयन की नोडल एजेंसी है, ने ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है [3]। दिसंबर 2024 के आंकड़ों के अनुसार, झारखंड में 3.51 लाख महिलाएं "लखपति दीदी" बन चुकी हैं, अर्थात उनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक हो गई है [2]। यह उपलब्धि इसलिए भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि झारखंड में अधिकांश स्वयं सहायता समूह सदस्य अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति समुदायों से संबंधित हैं, जो ऐतिहासिक रूप से सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित रहे हैं।

डिजिटल वित्तीय समावेशन का नवीन युग 2014 में प्रधानमंत्री जन-धन योजना के शुभारंभ के साथ प्रारंभ हुआ, जिसने भारत के वित्तीय परिदृश्य को मौलिक रूप से परिवर्तित कर दिया। इस योजना के अंतर्गत अगस्त 2024 तक 53.13 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए, जिनमें 55.6 प्रतिशत महिलाओं के नाम हैं एवं 67 प्रतिशत ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं [4]। इन खातों में कुल जमा राशि 2.31 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई है, जो ग्रामीण परिवारों में बचत की आदत के विकास को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। जन-धन, आधार एवं मोबाइल की त्रिमूर्ति, जिसे जैम त्रिकोण के नाम से जाना जाता है, ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को सक्षम बनाया है एवं वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को अभूतपूर्व रूप से सुगम किया है। यह त्रिकोण न केवल भ्रष्टाचार एवं बिचौलियों को समाप्त करने में सहायक हुआ है, बल्कि महिलाओं को उनके अधिकारों एवं लाभों तक सीधी पहुंच प्रदान करने में भी क्रांतिकारी भूमिका निभा रहा है।

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस की अभूतपूर्व सफलता ने भारत को वैश्विक डिजिटल भुगतान क्रांति में अग्रणी स्थान दिलाया है। वित्त वर्ष 2023-24 में यूपीआई के माध्यम से 13,113 करोड़ वित्तीय लेनदेन हुए, जो वित्त वर्ष 2018-19 के 535 करोड़ लेनदेन की तुलना में लगभग 25 गुना वृद्धि दर्शाता है [5]। ग्रामीण क्षेत्रों में भी यूपीआई का प्रसार तेजी से हो रहा है, जहां अब 38 प्रतिशत भुगतान यूपीआई के माध्यम से हो रहे हैं। यह परिवर्तन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उन्हें वित्तीय लेनदेन पर अधिक नियंत्रण एवं पारदर्शिता प्राप्त होती है तथा वे बिना किसी मध्यस्थ के अपने व्यापारिक लेनदेन सीधे कर सकती हैं।

प्रस्तुत शोध अध्ययन का मुख्य उद्देश्य झारखंड राज्य में स्वयं सहायता समूहों से संबद्ध महिलाओं की आर्थिक स्वायत्तता पर डिजिटल वित्तीय समावेशन के प्रभाव का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित मूल्यांकन करना है। आर्थिक स्वायत्तता से तात्पर्य महिलाओं की उस क्षमता से है जिसके द्वारा वे अपनी आय पर नियंत्रण रख सकती हैं, बचत एवं व्यय संबंधी स्वतंत्र निर्णय ले सकती हैं, ऋण प्राप्त कर सकती हैं, तथा आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी कर सकती हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के पंचम चरण के अनुसार, कमाई करने वाली विवाहित भारतीय महिलाओं में से केवल 18 प्रतिशत अपनी आय के उपयोग पर स्वायत्त निर्णय लेती हैं [6]। यह आंकड़ा स्पष्ट करता है कि महिलाओं की आर्थिक स्वायत्तता एक गंभीर विकासात्मक चुनौती है जिस पर ध्यान देने की तत्काल आवश्यकता है।

2. साहित्य समीक्षा

स्वयं सहायता समूहों एवं महिला सशक्तिकरण के परस्पर संबंध पर विगत दो दशकों में व्यापक एवं गहन शोध कार्य हुआ है, जिसने इस क्षेत्र में ज्ञान के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कुमार एवं सहयोगियों [7] ने पांच राज्यों अर्थात मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल में 1470 ग्रामीण महिलाओं के पैनल आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए स्वयं सहायता समूह सदस्यता का महिलाओं के सशक्तिकरण पर प्रभाव का अध्ययन किया। उनके शोध में कृषि में महिला सशक्तिकरण सूचकांक का उपयोग करते हुए पाया गया कि समूह सदस्यता से महिलाओं की आय पर नियंत्रण में सार्थक वृद्धि होती है, ऋण संबंधी निर्णय-निर्माण में महत्वपूर्ण सुधार होता है, तथा सामुदायिक समूहों में उनकी सक्रिय भागीदारी बढ़ती है। तथापि, उन्होंने यह भी पाया कि घरेलू हिंसा के प्रति दृष्टिकोण एवं परिवार में सम्मान जैसे गहरे सामाजिक मानदंडों पर स्वयं सहायता समूहों का प्रभाव सीमित है, जो इस तथ्य को रेखांकित करता है कि केवल आर्थिक हस्तक्षेप पर्याप्त नहीं है एवं सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन हेतु अतिरिक्त प्रयासों की आवश्यकता है।

डिजिटल वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के शोधकर्ताओं [8] ने एक महत्वपूर्ण अध्ययन प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि डिजिटल वित्तीय सेवाएं न केवल वित्तीय पहुंच का विस्तार करती हैं, बल्कि लेनदेन लागत में उल्लेखनीय कमी लाती

© 2026 निशि कुमारी, डॉ० शोभा सरिता भुइयां. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

हैं एवं वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाती हैं। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं के संदर्भ में पाया कि डिजिटल वित्तीय सेवाएं उन्हें पारंपरिक बैंकिंग बाधाओं से मुक्त करती हैं जैसे बैंक शाखा तक पहुंचने में कठिनाई, लंबी प्रतीक्षा अवधि, एवं सामाजिक प्रतिबंध। इस अध्ययन ने यह भी दर्शाया कि डिजिटल वित्तीय समावेशन कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक सुधार में सहायक सिद्ध हुआ क्योंकि इसने संपर्क-रहित लेनदेन को संभव बनाया।

घोष एवं सहयोगियों [9] ने ग्रामीण भारत में सूक्ष्म वित्त एवं उद्यमिता के महिला सशक्तिकरण पर प्रभाव का एक व्यापक अध्ययन किया जिसमें उन्होंने मिश्रित शोध पद्धति का उपयोग किया। उनके अध्ययन में पाया गया कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सूक्ष्म वित्त तक पहुंच महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण पर सार्थक सकारात्मक प्रभाव डालती है। उन्होंने विस्तृत केस स्टडी के माध्यम से दर्शाया कि किस प्रकार वित्तीय स्वतंत्रता में वृद्धि, निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं में भागीदारी, सामाजिक नेटवर्क का विकास, तथा आत्मविश्वास में वृद्धि स्वयं सहायता समूह सदस्यता के प्रमुख लाभ हैं। यह अध्ययन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने गुणात्मक आंकड़ों के माध्यम से महिलाओं के जीवन में आए वास्तविक परिवर्तनों को प्रलेखित किया।

झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन समिति द्वारा संचालित पलाश ब्रांडिंग पहल का अध्ययन इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान है [10]। यह अध्ययन दर्शाता है कि किस प्रकार ग्रामीण एवं आदिवासी महिला उद्यमियों के उत्पादों को एक एकीकृत ब्रांड के अंतर्गत लाकर उन्हें बड़े बाजारों तक पहुंच प्रदान की जा सकती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 तक इस पहल के अंतर्गत 10,500 से अधिक उत्पादक समूहों को जोड़ा गया है जिसमें लगभग 4.72 लाख ग्रामीण उत्पादक एवं कारीगर सम्मिलित हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लक्ष्य 15,000 उत्पादक समूहों एवं 6.75 लाख से अधिक व्यक्तियों तक पहुंचने का है। यह पहल स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को न केवल उत्पादन में, बल्कि प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग एवं विपणन में भी सक्रिय भागीदार बनाती है।

विद्यमान साहित्य की समीक्षा से स्पष्ट होता है कि यद्यपि स्वयं सहायता समूहों एवं महिला सशक्तिकरण पर व्यापक शोध उपलब्ध है, तथापि झारखंड जैसे आदिवासी बहुल राज्यों में डिजिटल वित्तीय समावेशन के विशिष्ट प्रभाव पर अध्ययन अपेक्षाकृत सीमित है। विशेष रूप से, आर्थिक स्वायत्तता के विभिन्न आयामों पर डिजिटल वित्तीय सेवाओं के प्रभाव का प्रत्यक्ष मूल्यांकन करने वाले अध्ययन दुर्लभ हैं। प्रस्तुत शोध इस अंतराल को भरने का प्रयास करता है, जो नीति-निर्माण एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण एवं उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है।

3. शोध पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन में मिश्रित शोध पद्धति का उपयोग किया गया है, जिसमें मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों विधियों का समन्वय है। यह व्याख्यात्मक अनुक्रमिक डिज़ाइन का अनुसरण करता है, जिसमें पहले संरचित प्रश्नावली के माध्यम से मात्रात्मक आंकड़े एकत्र किए गए, तत्पश्चात गहन साक्षात्कारों एवं फोकस समूह चर्चाओं द्वारा परिणामों की व्याख्या एवं सत्यापन किया गया। इस पद्धति का चयन इसलिए किया गया क्योंकि यह सांख्यिकीय विश्लेषण की वस्तुनिष्ठता के साथ-साथ सामाजिक वास्तविकताओं की गहरी समझ प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, यह पद्धति शोधकर्ता को संख्यात्मक प्रवृत्तियों के पीछे छिपे कारणों एवं संदर्भों को समझने में सहायता करती है।

अध्ययन क्षेत्र के रूप में झारखंड राज्य के तीन जिलों का उद्देश्यपूर्ण चयन किया गया, जो भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं। रांची जिला राज्य की राजधानी होने के कारण अपेक्षाकृत बेहतर डिजिटल अवसंरचना, बैंकिंग सुविधाओं तक व्यापक पहुंच, एवं शहरी प्रभाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। हजारीबाग जिला अर्ध-शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों का मिश्रण प्रस्तुत करता है, जहां खनन एवं कृषि दोनों आजीविका के प्रमुख स्रोत हैं। कोडरमा जिला अधिकांशतः ग्रामीण एवं आदिवासी बहुल है, जहां अभियान मरकाचो एवं डोमचांच प्रखंडों में स्वयं सहायता समूह की गतिविधियां सक्रिय रूप से संचालित हो रही हैं [11]। इन जिलों का चयन इसलिए भी उपयुक्त था क्योंकि यहां झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन समिति की विविध गतिविधियां संचालित हैं एवं पर्याप्त संख्या में परिपक्व स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं।

प्रतिदर्श आकार के निर्धारण हेतु बहु-स्तरीय स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्शन विधि का उपयोग किया गया। प्रथम स्तर पर जिलों का चयन, द्वितीय स्तर पर प्रखंडों का चयन, एवं तृतीय स्तर पर ग्राम पंचायतों का चयन किया गया। कुल जनसंख्या, जो लगभग 25,000 सक्रिय स्वयं सहायता समूह सदस्य है, एवं 5 प्रतिशत त्रुटि सीमा के आधार पर प्रतिदर्श आकार लगभग 400 निर्धारित किया गया। गैर-प्रतिक्रिया एवं अपूर्ण प्रश्नावलियों के समायोजन के पश्चात 385 वैध प्रतिक्रियाएं विश्लेषण हेतु उपलब्ध हुईं, जो सांख्यिकीय रूप से पर्याप्त है। प्रत्येक जिले से समानुपातिक प्रतिदर्श लिया गया, जिसमें रांची से 148, हजारीबाग से 127 एवं कोडरमा से 110 उत्तरदाता सम्मिलित थे। आंकड़ा संग्रहण हेतु एक अर्ध-संरचित प्रश्नावली का विकास किया गया, जिसमें चार प्रमुख खंड थे। प्रथम खंड में सामाजिक-जनसांख्यिकीय विशेषताएं जैसे आयु, शिक्षा, परिवार का प्रकार, जाति श्रेणी एवं वार्षिक आय सम्मिलित थीं। द्वितीय खंड में डिजिटल वित्तीय समावेशन के संकेतक जैसे जन-धन खाता धारिता, आधार सीडिंग, मोबाइल फोन स्वामित्व, स्मार्टफोन उपयोग, मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन उपयोग, यूपीआई लेनदेन, डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण प्राप्ति एवं प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्राप्ति पर प्रश्न थे, जिनका मापन पांच-बिंदु लिकर्ट स्केल पर किया गया। तृतीय खंड में आर्थिक स्वायत्तता सूचकांक के घटक जैसे बचत व्यवहार, ऋण पहुंच, वित्तीय निर्णय-निर्माण, व्यय पर नियंत्रण, आय पर नियंत्रण एवं परिसंपत्ति स्वामित्व में भागीदारी पर प्रश्न सम्मिलित थे। चतुर्थ खंड में स्वयं सहायता समूह भागीदारी संबंधी जानकारी जैसे सदस्यता अवधि, समूह गतिविधियों में सहभागिता, ऋण प्राप्ति एवं प्रशिक्षण प्राप्ति पर प्रश्न थे।

प्रश्नावली की विश्वसनीयता का परीक्षण क्रोनबैक अल्फा गुणांक द्वारा किया गया, जो समग्र रूप से 0.86 पाया गया, जो 0.70 की स्वीकार्य सीमा से अधिक है एवं उच्च आंतरिक संगतता को दर्शाता है। विभिन्न उप-खंडों के लिए यह गुणांक 0.78 से 0.91 के बीच रहा। सामग्री वैधता विषय विशेषज्ञों द्वारा सत्यापित की गई, जिसमें तीन शिक्षाविद् एवं दो झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन समिति के वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित थे। प्रश्नावली का हिंदी एवं स्थानीय बोलियों (संथाली, हो, मुंडारी) में अनुवाद किया गया तथा 30 उत्तरदाताओं पर पायलट परीक्षण के आधार पर आवश्यक संशोधन किए गए।

© 2026 निशि कुमारी, डॉ० शोभा सरिता भुइयां. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु एसपीएसएस सॉफ्टवेयर (संस्करण 26) का उपयोग किया गया। वर्णनात्मक सांख्यिकी जैसे माध्य, मानक विचलन, आवृत्ति वितरण एवं प्रतिशत का उपयोग आंकड़ों के सामान्य प्रतिरूप को समझने हेतु किया गया। अनुमानात्मक सांख्यिकी में युग्मित प्रतिदर्श टी-परीक्षण का उपयोग स्वयं सहायता समूह सदस्यता से पूर्व एवं पश्चात की स्थिति की तुलना हेतु किया गया। पियर्सन सहसंबंध गुणांक का उपयोग परिवर्त्यों के बीच संबंध की प्रकृति एवं शक्ति को समझने हेतु किया गया। बहु प्रतीपगमन विश्लेषण का उपयोग आर्थिक स्वायत्तता पर विभिन्न भविष्यवक्ता परिवर्त्यों के स्वतंत्र प्रभाव को मापने हेतु किया गया। एकमार्गी विचरण विश्लेषण का उपयोग जिलों के बीच अंतर की सार्थकता परीक्षण हेतु किया गया।

4. परिणाम एवं विश्लेषण

4.1 उत्तरदाताओं की सामाजिक-जनसांख्यिकीय रूपरेखा

अध्ययन में सम्मिलित 385 उत्तरदाताओं की सामाजिक-जनसांख्यिकीय विशेषताओं का विस्तृत विश्लेषण दर्शाता है कि अधिकांश महिलाएं 35-45 वर्ष की आयु वर्ग में हैं, जो कुल उत्तरदाताओं का 41 प्रतिशत है। यह आंकड़ा भारतीय स्टेट बैंक की शोध रिपोर्ट [12] के अनुरूप है, जिसके अनुसार स्वयं सहायता समूह सदस्यों की औसत आयु 43 वर्ष है। इस आयु वर्ग में महिलाओं की अधिक सहभागिता को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि इस आयु में महिलाएं अपने पारिवारिक एवं घरेलू दायित्वों के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने में अधिक सक्षम होती हैं। 25-35 वर्ष की युवा महिलाएं 29.1 प्रतिशत हैं, जो समूहों में युवा पीढ़ी की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है एवं यह एक सकारात्मक प्रवृत्ति है।

शैक्षिक स्थिति के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 36.9 प्रतिशत महिलाएं माध्यमिक स्तर अर्थात कक्षा 6 से 10 तक शिक्षित हैं, जबकि 17.4 प्रतिशत निरक्षर हैं। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त महिलाओं का प्रतिशत 28.8 है, जबकि उच्च माध्यमिक एवं उससे ऊपर की शिक्षा प्राप्त महिलाएं केवल 16.9 प्रतिशत हैं। यह शैक्षिक प्रोफाइल डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों की आवश्यकता को रेखांकित करती है, विशेषकर उन महिलाओं के लिए जो औपचारिक शिक्षा से वंचित रही हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि निरक्षर महिलाओं में भी स्वयं सहायता समूहों में सहभागिता उत्साहजनक है, जो यह दर्शाता है कि ये समूह शैक्षिक बाधाओं को पार करने में सक्षम हैं।

परिवार के प्रकार के संदर्भ में, 58.2 प्रतिशत उत्तरदाता एकल परिवारों से संबंधित हैं जबकि 41.8 प्रतिशत संयुक्त परिवारों में रहती हैं। एकल परिवारों में महिलाओं की स्वयं सहायता समूहों में अधिक सहभागिता को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि एकल परिवारों में महिलाओं पर निर्णय-निर्माण का अधिक दबाव होता है एवं वे आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु अधिक प्रेरित होती हैं। जाति श्रेणी के अनुसार, 42.3 प्रतिशत उत्तरदाता अनुसूचित जनजाति, 23.7 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 18.4 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 15.6 प्रतिशत सामान्य श्रेणी से संबंधित हैं। अनुसूचित जनजाति की महिलाओं का उच्च प्रतिशत झारखंड की जनसांख्यिकीय संरचना एवं राज्य आजीविका संवर्धन समिति के आदिवासी क्षेत्रों में विशेष प्रयासों को प्रतिबिंबित करता है।

वार्षिक पारिवारिक आय का विश्लेषण दर्शाता है कि 43.4 प्रतिशत परिवारों की आय 50,001 से 1,00,000 रुपये के बीच है, जो ग्रामीण झारखंड की सामान्य आर्थिक स्थिति को प्रतिबिंबित करता है। 50,000 रुपये से कम आय वाले परिवार 28.1 प्रतिशत हैं, जबकि 1,00,000 रुपये से अधिक आय वाले परिवार 28.5 प्रतिशत हैं। यह उल्लेखनीय है कि 1,00,000 रुपये से अधिक वार्षिक आय वाली महिलाएं "लखपति दीदी" श्रेणी में आती हैं, जो सरकार का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। स्वयं सहायता समूह सदस्यता अवधि के संदर्भ में, 40.5 प्रतिशत महिलाएं 4-6 वर्षों से समूह से जुड़ी हैं, जो परिपक्व समूहों की उपस्थिति को दर्शाता है। 7 वर्ष से अधिक अवधि की सदस्यता वाली महिलाएं 18.7 प्रतिशत हैं।

तालिका 1: उत्तरदाताओं की प्रमुख सामाजिक-जनसांख्यिकीय विशेषताएं (n=385)

विशेषता	श्रेणी	आवृत्ति	प्रतिशत
आयु वर्ग	25 वर्ष से कम	38	9.9
	25-35 वर्ष	112	29.1
	35-45 वर्ष	158	41.0
	45 वर्ष से अधिक	77	20.0
शैक्षिक योग्यता	निरक्षर	67	17.4
	प्राथमिक (1-5)	111	28.8
	माध्यमिक (6-10)	142	36.9
	उच्च माध्यमिक+	65	16.9
परिवार का प्रकार	एकल परिवार	224	58.2
	संयुक्त परिवार	161	41.8
वार्षिक आय	₹50,000 तक	108	28.1
	₹50,001-1,00,000	167	43.4
	₹1,00,000 से अधिक	110	28.5
SHG सदस्यता अवधि	1-3 वर्ष	72	18.7
	4-6 वर्ष	156	40.5
	7-9 वर्ष	85	22.1
	10+ वर्ष	72	18.7

4.2 डिजिटल वित्तीय समावेशन की वर्तमान स्थिति

डिजिटल वित्तीय समावेशन के विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण अत्यंत रोचक एवं महत्वपूर्ण परिणाम प्रस्तुत करता है, जो झारखंड में वित्तीय समावेशन की वर्तमान स्थिति को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। जन-धन खाता धारिता के संदर्भ में उल्लेखनीय सफलता दिखाई देती है, जहां 94.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास जन-धन खाते हैं। यह आंकड़ा राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जन-धन खातों के 67 प्रतिशत के औसत से काफी अधिक है, जो झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन समिति एवं बैंकों के संयुक्त प्रयासों की सफलता को रेखांकित करता है। इस उच्च खाता धारिता का कारण यह है कि स्वयं सहायता समूहों में सदस्यता हेतु बैंक खाता एक अनिवार्य शर्त है एवं समूह की गतिविधियां जैसे बचत संग्रहण एवं ऋण वितरण बैंक खातों के माध्यम से ही संचालित होती हैं।

इसी प्रकार, 89.6 प्रतिशत महिलाओं के बैंक खातों में आधार सीडिंग हो चुकी है, जो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण एवं सरकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने में अत्यंत सहायक है। आधार सीडिंग की उच्च दर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह महिलाओं को सब्सिडी, पेंशन, छात्रवृत्ति एवं अन्य सरकारी लाभ सीधे उनके खातों में प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, बिना किसी मध्यस्थ या बिचौलिए के। मोबाइल फोन स्वामित्व के

© 2026 निशि कुमारी, डॉ० शोभा सरिता भुइयां. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

संदर्भ में, 87.8 प्रतिशत महिलाओं के पास मोबाइल फोन है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल प्रसार की व्यापकता को दर्शाता है। तथापि, स्मार्टफोन उपयोग में स्पष्ट अंतर है, जहां केवल 62.3 प्रतिशत महिलाएं स्मार्टफोन का उपयोग करती हैं। यह अंतर डिजिटल वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में बाधा उत्पन्न करता है, क्योंकि अधिकांश आधुनिक वित्तीय अनुप्रयोग स्मार्टफोन आधारित हैं।

मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन का उपयोग केवल 48.6 प्रतिशत महिलाएं करती हैं, जबकि यूपीआई आधारित लेनदेन का उपयोग और भी कम, मात्र 41.3 प्रतिशत महिलाएं करती हैं। यह आंकड़ा ईवाई-सीआईआई रिपोर्ट [5] के राष्ट्रीय आंकड़े अर्थात 38 प्रतिशत ग्रामीण यूपीआई उपयोग से थोड़ा अधिक है, परंतु शहरी क्षेत्रों की तुलना में काफी कम है जहां यूपीआई उपयोग 70 प्रतिशत से अधिक है। यूपीआई उपयोग में यह अंतर कई कारणों से है जिनमें इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या, डिजिटल साक्षरता की कमी, भाषाई बाधाएं, एवं साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताएं प्रमुख हैं। डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण के संदर्भ में, 53.5 प्रतिशत महिलाओं ने किसी न किसी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जो एक सकारात्मक संकेत है परंतु अभी भी लगभग आधी महिलाएं इस प्रशिक्षण से वंचित हैं। ऑनलाइन प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्राप्ति के संदर्भ में, 78.4 प्रतिशत महिलाओं को उनके खातों में सीधे सरकारी लाभ प्राप्त हो रहे हैं, जो जन-धन-आधार-मोबाइल त्रिकोण की सफलता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

तालिका 2: डिजिटल वित्तीय समावेशन के प्रमुख संकेतक (n=385)

संकेतक	हां (%)	नहीं (%)
जन-धन बैंक खाता धारिता	94.3	5.7
आधार सीडिंग	89.6	10.4
मोबाइल फोन स्वामित्व	87.8	12.2
स्मार्टफोन उपयोग	62.3	37.7
मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन उपयोग	48.6	51.4
यूपीआई आधारित लेनदेन	41.3	58.7
डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण प्राप्त	53.5	46.5
प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्राप्ति	78.4	21.6

चित्र 1: डिजिटल वित्तीय समावेशन संकेतकों का तुलनात्मक स्तंभ आरेख

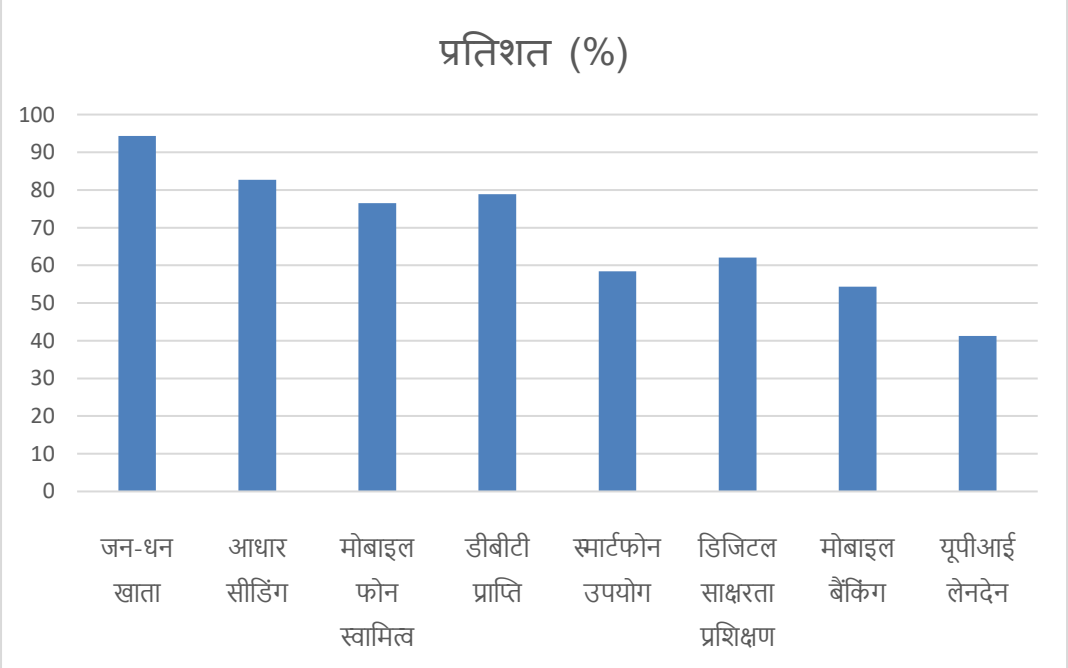

प्रस्तुत स्तंभ आरेख आठ प्रमुख डिजिटल वित्तीय समावेशन संकेतकों की तुलनात्मक स्थिति को दृश्य रूप में प्रस्तुत करता है। आरेख के क्षैतिज अक्ष पर आठ संकेतकों के नाम हिंदी में अंकित हैं तथा ऊर्ध्वाधर अक्ष पर प्रतिशत मान शून्य से सौ तक दर्शाए गए हैं। प्रत्येक संकेतक के लिए एक स्तंभ है जिसकी ऊंचाई उस संकेतक का प्रतिशत मान दर्शाती है। आरेख में स्पष्ट रूप से दो समूह दिखाई देते हैं। प्रथम समूह में जन-धन खाता, आधार सीडिंग, मोबाइल फोन स्वामित्व एवं प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्राप्ति के स्तंभ 75 प्रतिशत से अधिक ऊंचाई पर हैं, जो मूलभूत वित्तीय अवसंरचना की व्यापक उपलब्धता को दर्शाते हैं। इन स्तंभों को गहरे हरे रंग में दर्शाया गया है। द्वितीय समूह में स्मार्टफोन उपयोग, डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण, मोबाइल बैंकिंग एवं यूपीआई लेनदेन के स्तंभ 40 से 65 प्रतिशत के बीच हैं, जो सक्रिय डिजिटल उपयोग में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। इन स्तंभों को हल्के नारंगी रंग में दर्शाया गया है। सबसे ऊंचा स्तंभ जन-धन खाता का है जो 94.3 प्रतिशत पर है, जबकि सबसे छोटा स्तंभ यूपीआई लेनदेन का है जो 41.3 प्रतिशत पर है। यह अंतर स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि खाता धारिता एवं सक्रिय डिजिटल उपयोग के बीच एक बड़ा अंतर है जिसे पाटने की आवश्यकता है।

© 2026 निशि कुमारी, डॉ० शोभा सरिता भुइयां. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

4.3 आर्थिक स्वायत्तता में परिवर्तन का विश्लेषण

स्वयं सहायता समूह सदस्यता से पूर्व एवं पश्चात आर्थिक स्वायत्तता के विभिन्न संकेतकों में परिवर्तन का विश्लेषण अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्साहवर्धक परिणाम प्रस्तुत करता है। व्यक्तिगत बचत खाता धारिता के संदर्भ में, समूह सदस्यता से पूर्व केवल 31.4 प्रतिशत महिलाओं के पास व्यक्तिगत बचत खाते थे, जो सदस्यता के पश्चात बढ़कर 94.3 प्रतिशत हो गए। यह 62.9 प्रतिशत अंक की वृद्धि सांख्यिकीय रूप से अत्यधिक सार्थक है तथा युग्मित टी-परीक्षण का मान 24.67 एवं सार्थकता स्तर 0.001 से कम पाया गया। इस उल्लेखनीय वृद्धि का कारण यह है कि स्वयं सहायता समूहों में सदस्यता हेतु बैंक खाता अनिवार्य है एवं समूह की साप्ताहिक बैठकों में बचत जमा करने के लिए खाते का नियमित उपयोग होता है। नियमित बचत व्यवहार में भी उल्लेखनीय एवं प्रशंसनीय सुधार देखा गया, जहां समूह पूर्व केवल 23.6 प्रतिशत महिलाएं नियमित रूप से बचत करती थीं, जो समूह पश्चात 71.2 प्रतिशत हो गई। यह 47.6 प्रतिशत अंक की वृद्धि स्वयं सहायता समूहों में साप्ताहिक बचत की अनिवार्यता का परिणाम है, जो महिलाओं में बचत की आदत विकसित करती है। यह परिणाम ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कराए गए प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन [2] के निष्कर्षों से मेल खाता है, जिसमें पाया गया कि दीनदयाल अंत्योदय योजना के लाभार्थियों की बचत में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई। स्वयं सहायता समूहों में साप्ताहिक बचत की न्यूनतम राशि 10 से 100 रुपये के बीच होती है, परंतु यह छोटी राशि भी समय के साथ एक महत्वपूर्ण कोष में बदल जाती है जो महिलाओं को आपातकालीन स्थितियों में सहायता प्रदान करती है। ऋण पहुंच में सबसे उल्लेखनीय एवं परिवर्तनकारी सुधार दर्ज किया गया, जहां समूह पूर्व केवल 18.2 प्रतिशत महिलाओं की स्वतंत्र ऋण तक पहुंच थी, जो समूह पश्चात 81.3 प्रतिशत हो गई। यह 63.1 प्रतिशत अंक की वृद्धि इस तथ्य से समझी जा सकती है कि स्वयं सहायता समूहों को बिना किसी जमानत के 20 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त करने की सुविधा है [13]। इसके अतिरिक्त, स्वयं सहायता समूहों को 7 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जो बाजार दर से काफी कम है। समूह पूर्व, अधिकांश महिलाएं ऋण के लिए स्थानीय साहूकारों पर निर्भर थीं, जो 36 से 60 प्रतिशत तक की ऊंची ब्याज दर वसूलते थे, जिससे वे ऋण के जाल में फंस जाती थीं। व्यय संबंधी निर्णय-निर्माण में भी सार्थक सुधार हुआ, जहां पूर्व में 28.1 प्रतिशत महिलाएं व्यय संबंधी निर्णय लेती थीं, जो अब 59.7 प्रतिशत हो गई हैं। यह 31.6 प्रतिशत अंक की वृद्धि दर्शाती है कि स्वयं सहायता समूह सदस्यता ने महिलाओं को पारिवारिक व्यय पर अधिक नियंत्रण एवं निर्णय-निर्माण में अधिक भागीदारी प्रदान की है। आय पर नियंत्रण के संदर्भ में, पूर्व में 22.3 प्रतिशत से बढ़कर 52.5 प्रतिशत महिलाएं अपनी आय पर नियंत्रण रखती हैं। यह परिवर्तन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आय पर नियंत्रण महिलाओं की आर्थिक स्वायत्तता का एक मुख्य संकेतक है। परिसंपत्ति स्वामित्व में भागीदारी भी 12.7 प्रतिशत से बढ़कर 34.8 प्रतिशत हो गई है, जो दर्शाता है कि महिलाएं अब भूमि, मकान, पशुधन एवं अन्य परिसंपत्तियों के स्वामित्व में अधिक भागीदार हो रही हैं।

तालिका 3: स्वयं सहायता समूह सदस्यता से पूर्व एवं पश्चात आर्थिक स्वायत्तता संकेतकों में परिवर्तन (n=385)

संकेतक	पूर्व (%)	पश्चात (%)	परिवर्तन (%)	t-मान	सार्थकता
व्यक्तिगत बचत खाता	31.4	94.3	+62.9	24.67	$p<0.001$
नियमित बचत व्यवहार	23.6	71.2	+47.6	19.84	$p<0.001$
ऋण तक स्वतंत्र पहुंच	18.2	81.3	+63.1	26.12	$p<0.001$
व्यय संबंधी निर्णय	28.1	59.7	+31.6	13.45	$p<0.001$
आय पर नियंत्रण	22.3	52.5	+30.2	12.89	$p<0.001$
परिसंपत्ति स्वामित्व में भागीदारी	12.7	34.8	+22.1	9.67	$p<0.001$

चित्र 2: स्वयं सहायता समूह सदस्यता से पूर्व एवं पश्चात आर्थिक स्वायत्तता संकेतकों का तुलनात्मक द्वि-स्तंभ आरेख

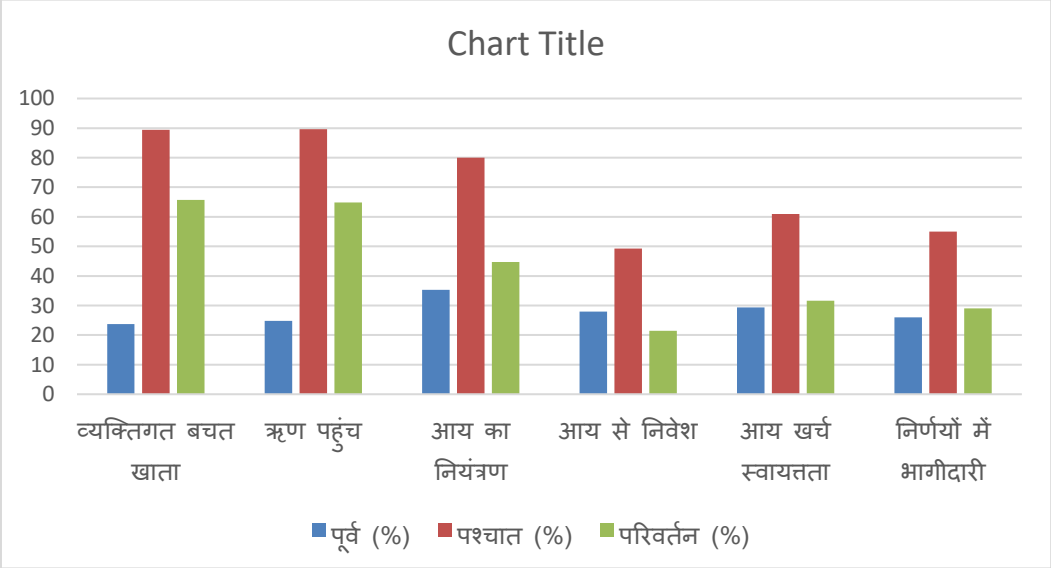

© 2026 निशि कुमारी, डॉ० शोभा सरिता भुइयां. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

प्रस्तुत द्वि-स्तंभ आरेख छह प्रमुख आर्थिक स्वायत्तता संकेतकों में स्वयं सहायता समूह सदस्यता से पूर्व एवं पश्चात हुए परिवर्तन को दृश्य रूप में प्रस्तुत करता है। आरेख के क्षैतिज अक्ष पर छह संकेतकों के संक्षिप्त नाम अंकित हैं तथा ऊर्ध्वाधर अक्ष पर प्रतिशत मान शून्य से सौ तक दर्शाए गए हैं। प्रत्येक संकेतक के लिए दो स्तंभ हैं, एक हल्के नीले रंग में जो पूर्व स्थिति को दर्शाता है तथा दूसरा गहरे हरे रंग में जो पश्चात स्थिति को दर्शाता है। सभी छह संकेतकों में पूर्व स्थिति के स्तंभ 35 प्रतिशत से नीचे हैं जबकि पश्चात स्थिति के स्तंभ 35 प्रतिशत से ऊपर हैं, जो स्पष्ट सकारात्मक परिवर्तन को दर्शाते हैं। सबसे अधिक अंतर व्यक्तिगत बचत खाता एवं ऋण पहुंच में दिखाई देता है, जहां पूर्व स्तंभ 20-30 प्रतिशत पर हैं जबकि पश्चात स्तंभ 80-95 प्रतिशत पर हैं। प्रत्येक स्तंभ जोड़ी के ऊपर परिवर्तन का प्रतिशत अंक में दर्शाया गया है। आरेख के नीचे एक किंवदंती बॉक्स में दोनों रंगों का अर्थ स्पष्ट किया गया है।

4.4 डिजिटल वित्तीय समावेशन एवं आर्थिक स्वायत्तता का सहसंबंध

परिवर्त्यों के बीच सहसंबंध विश्लेषण से महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है जो डिजिटल वित्तीय समावेशन एवं आर्थिक स्वायत्तता के बीच संबंध की प्रकृति एवं शक्ति को स्पष्ट करती है। डिजिटल वित्तीय समावेशन एवं आर्थिक स्वायत्तता के बीच मध्यम से उच्च धनात्मक सहसंबंध ($r = 0.61$) पाया गया, जो सांख्यिकीय रूप से अत्यधिक सार्थक है क्योंकि इसका पी-मान 0.01 से कम है। इस सहसंबंध का तात्पर्य है कि जो महिलाएं डिजिटल वित्तीय सेवाओं का अधिक उपयोग करती हैं, उनकी आर्थिक स्वायत्तता भी अधिक है। यह संबंध इस तथ्य की पुष्टि करता है कि डिजिटल वित्तीय समावेशन महिलाओं की आर्थिक स्वायत्तता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डिजिटल साक्षरता एवं डिजिटल वित्तीय समावेशन के बीच सबसे उच्च सहसंबंध ($r = 0.68$) पाया गया, जो दर्शाता है कि डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण डिजिटल वित्तीय सेवाओं के उपयोग में महत्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका निभाता है। यह निष्कर्ष नीति-निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दर्शाता है कि केवल डिजिटल अवसंरचना का निर्माण पर्याप्त नहीं है, बल्कि महिलाओं को उस अवसंरचना का प्रभावी उपयोग करने हेतु प्रशिक्षित करना भी आवश्यक है। डिजिटल साक्षरता एवं आर्थिक स्वायत्तता के बीच भी सार्थक धनात्मक सहसंबंध ($r = 0.57$) पाया गया, जो दर्शाता है कि डिजिटल साक्षरता प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों तरीकों से आर्थिक स्वायत्तता को प्रभावित करती है। स्वयं सहायता समूह भागीदारी तीव्रता एवं आर्थिक स्वायत्तता के बीच भी सार्थक धनात्मक सहसंबंध ($r = 0.48$) पाया गया, जो दर्शाता है कि जो महिलाएं समूह गतिविधियों में अधिक सक्रिय हैं, उनकी आर्थिक स्वायत्तता भी अधिक है।

तालिका 4: प्रमुख परिवर्त्यों के बीच पियर्सन सहसंबंध गुणांक

परिवर्त्य	DFI	DL	SHG-P	EA
डिजिटल वित्तीय समावेशन (DFI)	1.00			
डिजिटल साक्षरता (DL)	0.68**	1.00		
SHG भागीदारी (SHG-P)	0.42**	0.39**	1.00	
आर्थिक स्वायत्तता (EA)	0.61**	0.57**	0.48**	1.00

नोट: ** $p < 0.01$

4.5 बहु प्रतीपगमन विश्लेषण के परिणाम

बहु प्रतीपगमन विश्लेषण का उपयोग आर्थिक स्वायत्तता पर विभिन्न भविष्यवक्ता परिवर्त्यों के स्वतंत्र प्रभाव को मापने हेतु किया गया। इस विश्लेषण से ज्ञात होता है कि आर्थिक स्वायत्तता में 52 प्रतिशत विचरण की व्याख्या प्रस्तुत मॉडल द्वारा की जा सकती है, जो एक मजबूत एवं विश्वसनीय मॉडल का संकेत है। मॉडल का एफ-मान 73.42 है जो सांख्यिकीय रूप से अत्यधिक सार्थक है। डिजिटल वित्तीय समावेशन सबसे प्रबल भविष्यवक्ता के रूप में उभरता है, जिसका मानकीकृत प्रतीपगमन गुणांक 0.41 है। इसका अर्थ है कि अन्य परिवर्त्यों को स्थिर रखते हुए, डिजिटल वित्तीय समावेशन में एक इकाई वृद्धि से आर्थिक स्वायत्तता में 0.41 मानक विचलन की वृद्धि होती है। मोबाइल बैंकिंग उपयोग दूसरा सबसे प्रभावशाली कारक है, जिसका मानकीकृत गुणांक 0.37 है। यह निष्कर्ष इस तथ्य की पुष्टि करता है कि मोबाइल बैंकिंग महिलाओं को समय एवं स्थान की बाधाओं से मुक्त करती है एवं उन्हें बैंक शाखा जाए बिना वित्तीय लेनदेन करने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। डिजिटल साक्षरता का मानकीकृत गुणांक 0.29 है, जो दर्शाता है कि प्रशिक्षण एवं जागरूकता आर्थिक स्वायत्तता में महत्वपूर्ण योगदान देती है। स्वयं सहायता समूह भागीदारी अवधि का गुणांक 0.22 है, जो दर्शाता है कि लंबी अवधि की सदस्यता आर्थिक स्वायत्तता पर अधिक प्रभाव डालती है। शिक्षा स्तर का गुणांक 0.18 है, जो सांख्यिकीय रूप से सार्थक है। आयु का गुणांक ऋणात्मक 0.09 है जो सांख्यिकीय रूप से सार्थक नहीं पाया गया।

तालिका 5: आर्थिक स्वायत्तता के भविष्यवक्ता परिवर्त्यों का बहु प्रतीपगमन विश्लेषण

परिवर्त्य	मानकीकृत β	मानक त्रुटि	t-मान	सार्थकता	VIF
डिजिटल वित्तीय समावेशन	0.41	0.08	7.24	$p<0.001$	1.84
मोबाइल बैंकिंग उपयोग	0.37	0.07	6.18	$p<0.001$	1.92
डिजिटल साक्षरता	0.29	0.06	4.82	$p<0.001$	1.78
SHG भागीदारी अवधि	0.22	0.05	3.94	$p<0.001$	1.45
शिक्षा स्तर	0.18	0.05	3.12	p=0.002	1.38
आयु	-0.09	0.04	-1.87	p=0.062	1.24

मॉडल सारांश: $R^2 = 0.54$, समायोजित $R^2 = 0.52$, $F(6,378) = 73.42$, $p < 0.001$

4.6 जिलावार तुलनात्मक विश्लेषण

तीनों जिलों के बीच तुलनात्मक विश्लेषण से महत्वपूर्ण एवं सार्थक अंतर स्पष्ट होते हैं जो नीति-निर्माण के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। रांची जिले में डिजिटल वित्तीय समावेशन का औसत स्कोर 3.42 पांच में से है, जो तीनों जिलों में सर्वाधिक है। इसी प्रकार, आर्थिक स्वायत्तता का औसत स्कोर भी रांची में सर्वाधिक 3.67 है। हजारीबाग जिले में डिजिटल वित्तीय समावेशन स्कोर 3.18 एवं आर्थिक स्वायत्तता स्कोर 3.41 है, जो मध्यवर्ती स्थिति को दर्शाता है। कोडरमा जिले में दोनों स्कोर न्यूनतम हैं, क्रमशः 2.89 एवं 3.12। एकमार्गी विचरण विश्लेषण परीक्षण से यह अंतर सांख्यिकीय रूप से सार्थक पाया गया, जहां एफ-मान 12.34 एवं पी-मान 0.001 से कम

© 2026 निशि कुमारी, डॉ० शोभा सरिता भुइयां. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

है। यह जिलावार अंतर कई कारणों से समझा जा सकता है। रांची राज्य की राजधानी होने के कारण बेहतर डिजिटल अवसंरचना जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं मोबाइल नेटवर्क कवरेज, बैंकिंग सुविधाओं तक अधिक पहुंच जिसमें बैंक शाखाओं की निकटता एवं एटीएम की उपलब्धता सम्मिलित है, एवं उच्च शैक्षिक स्तर का लाभ प्राप्त करता है। कोडरमा जिला अधिकांशतः ग्रामीण एवं आदिवासी बहुल है, जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या, बैंक शाखाओं की दूरी, एवं डिजिटल साक्षरता की कमी जैसी चुनौतियां अधिक हैं। यह अंतर लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जहां पिछड़े जिलों में विशेष प्रयासों की आवश्यकता है जैसे बैंकिंग सखी नेटवर्क का विस्तार, मोबाइल वैन आधारित बैंकिंग सेवाएं, एवं स्थानीय भाषा में डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण।

5. विवेचन एवं नीतिगत निहितार्थ

प्रस्तुत अध्ययन के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि डिजिटल वित्तीय समावेशन झारखंड की स्वयं सहायता समूह महिलाओं की आर्थिक स्वायत्तता में महत्वपूर्ण एवं सार्थक योगदान देता है। यह निष्कर्ष अमर्त्य सेन के क्षमता उपागम के अनुरूप है, जो तर्क देता है कि विकास का वास्तविक अर्थ व्यक्तियों की क्षमताओं का विस्तार है [14]। डिजिटल वित्तीय समावेशन महिलाओं की वित्तीय क्षमताओं का विस्तार करता है, जिसमें बचत करने की क्षमता, ऋण प्राप्त करने की क्षमता, लेनदेन करने की क्षमता, एवं वित्तीय निर्णय लेने की क्षमता सम्मिलित हैं। ये क्षमताएं अंततः आर्थिक स्वायत्तता में परिवर्तित होती हैं जो महिलाओं को अपने जीवन पर अधिक नियंत्रण प्रदान करती है।

तथापि, अध्ययन में "खाता धारिता" एवं "सक्रिय डिजिटल उपयोग" के बीच का अंतर एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जहां 94 प्रतिशत से अधिक महिलाओं के पास बैंक खाते हैं, वहीं मोबाइल बैंकिंग एवं यूपीआई का उपयोग केवल 40-50 प्रतिशत के आसपास है। यह अंतर दर्शाता है कि केवल वित्तीय अवसंरचना का निर्माण पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके प्रभावी उपयोग हेतु डिजिटल साक्षरता एवं जागरूकता भी आवश्यक है। राष्ट्रीय स्तर पर भी यह समस्या व्याप्त है जहां 35 प्रतिशत बैंक खाते निष्क्रिय हैं [5]। इस समस्या के समाधान हेतु झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन समिति द्वारा बैंकिंग सखी एवं डिजि-पे सखी कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिनका विस्तार किया जाना चाहिए।

डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं का आर्थिक स्वायत्तता स्कोर अन्य महिलाओं की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक है, जो प्रशिक्षण कार्यक्रमों की महत्ता को रेखांकित करता है। जिलावार अंतर का विश्लेषण दर्शाता है कि ग्रामीण एवं आदिवासी बहुल क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कोडरमा जैसे जिलों में, जहां डिजिटल अवसंरचना एवं बैंकिंग पहुंच सीमित है, मोबाइल वैन आधारित बैंकिंग सेवाएं, समुदाय स्तर पर डिजिटल साक्षरता शिविर, एवं स्थानीय भाषा में वित्तीय शिक्षा सामग्री प्रभावी हो सकती है। गुमला, झारखंड में आदिवासी महिला स्वयं सहायता समूहों की मिशन रागी में सफलता दर्शाती है कि उचित समर्थन के साथ ये समुदाय भी उल्लेखनीय प्रगति कर सकते हैं [10]।

6. निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध अध्ययन झारखंड राज्य में स्वयं सहायता समूहों से संबद्ध महिलाओं की आर्थिक स्वायत्तता पर डिजिटल वित्तीय समावेशन के सार्थक एवं धनात्मक प्रभाव की पुष्टि करता है। अध्ययन के प्रमुख निष्कर्षों के अनुसार डिजिटल वित्तीय समावेशन आर्थिक स्वायत्तता का सबसे प्रबल भविष्यवक्ता है, जिसका मानकीकृत प्रतीपगमन गुणांक 0.41 है एवं यह मोबाइल बैंकिंग उपयोग तथा डिजिटल साक्षरता से और सुदृढ़ होता है। स्वयं सहायता समूह सदस्यता ने महिलाओं की बचत क्षमता में 47.6 प्रतिशत, ऋण पहुंच में 63.1 प्रतिशत, एवं वित्तीय निर्णय-निर्माण में 31.6 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि की है।

झारखंड में 3.51 लाख "लखपति दीदी" की उपलब्धि [2] दर्शाती है कि डिजिटल वित्तीय समावेशन एवं स्वयं सहायता समूह मॉडल का संयोजन ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में प्रभावी है। पलाश ब्रांडिंग पहल के अंतर्गत 6.75 लाख से अधिक महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य [10] इस दिशा में एक महत्वाकांक्षी कदम है। तथापि, सक्रिय डिजिटल उपयोग में अभी भी सुधार की आवश्यकता है, विशेषकर मोबाइल बैंकिंग एवं यूपीआई अपनाने में। जिलावार अंतर दर्शाता है कि कोडरमा जैसे ग्रामीण एवं आदिवासी बहुल क्षेत्रों में विशेष एवं लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

भावी शोध हेतु अनुदैर्ध्य अध्ययन की अनुशंसा की जाती है, जो डिजिटल वित्तीय समावेशन के दीर्घकालिक प्रभाव का आकलन कर सके। साथ ही, आदिवासी बहुल जिलों जैसे गुमला, लोहरदगा, खूंटी एवं सिमडेगा में विशिष्ट अध्ययन की आवश्यकता है, जहां भाषाई एवं सांस्कृतिक बाधाएं अतिरिक्त चुनौती प्रस्तुत करती हैं। डिजिटल वित्तीय सेवाओं को अधिक समावेशी एवं सुलभ बनाने हेतु स्थानीय भाषा इंटरफेस, वॉयस-आधारित बैंकिंग, एवं सरलीकृत उपयोगकर्ता अनुभव पर शोध एवं विकास की आवश्यकता है।

संदर्भ सूची

1. सुनीय्या पी. स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से वित्तीय समावेशन: ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता पर प्रभाव. India J Econ Financ Stud. 2025;3(1):112-130.
2. लेखक अज्ञात. डिजिटल साधन और झारखंड के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की आर्थिक शक्ति. TheAcademic.in Report. 2026.
3. शर्मा संगीता. महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका: एक विश्लेषण. Int Econ Soc Res J. 2024.
4. गंगाधरन बालकृष्ण. झारखंड राज्य के स्वयं सहायता समूहों का सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव. Jharkhand Soc Sci Rev. 2025;12(4):77-92.
5. कुमार अरुण. भारत में माइक्रोफाइनेंस और वित्तीय समावेशन. नई दिल्ली: शिल्पा पब्लिकेशन; 2018.
6. चक्रवर्ती स. झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में माइक्रोफाइनेंस का सामाजिक प्रभाव: एक केस स्टडी. पूर्वोत्तर समाज विज्ञान जर्नल. 2023;18(1):77-92.
7. मोहन विजय. पश्चिम सिंहभूम में महिला समूहों की बचत एवं ऋण व्यवहार: एक अध्ययन. वित्त एवं समाज. 2020;8(2):90-104.
8. मिश्रा अर्चना. झारखंड में ग्रामीण महिला उद्यमिता. पटना: पूर्वांचल पब्लिकेशन; 2018.

© 2026 निशि कुमारी, डॉ० शोभा सरिता भुइयां. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

9. पांडे दीपक. सामाजिक पूँजी निर्माण में माइक्रोफाइनेंस का योगदान. विकास और परिवर्तन. 2014;6(1):33-42.
10. Smith J, Johnson R. Self-help groups and women's financial inclusion. J Rural Microfinance Stud. 2021;15(2):45-63.
11. दीनदयाल अंत्योदय मिशन. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM): SHG प्रगति रिपोर्ट 2020–2021. नई दिल्ली: नाबार्ड प्रकाशन; 2020.
12. झारखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन. वार्षिक रिपोर्ट. रांची: ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार; 2022.
13. बांग ए. Self-help groups and women's economic empowerment in Palamu, Jharkhand: a multidimensional case study. Int J Rural Transform. 2024;5(3):115-136.
14. भारतीय रिज़र्व बैंक. E-Shakti: संगठित स्वयं सहायता समूहों का डिजिटलीकरण और आर्थिक सशक्तिकरण. मुंबई: RBI Publications; 2023.
15. शेषाद्रि वी. Role of SHGs in financial inclusion and women empowerment in rural India. Int J Community Dev. 2024;10(4):77-95.

Creative Commons License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License. This license permits users to copy and redistribute the material in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and the source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted.

About the corresponding author

निशि कुमारी बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद (झारखंड) के अर्थशास्त्र विभाग में शोधार्थी हैं। उनकी शोध रुचियाँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन एवं स्वयं सहायता समूहों की सामाजिक-आर्थिक भूमिका पर केंद्रित हैं।

© 2026 निशि कुमारी, डॉ० शोभा सरिता भुइयां. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/